

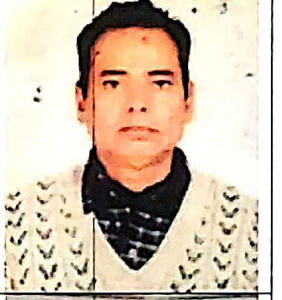
बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

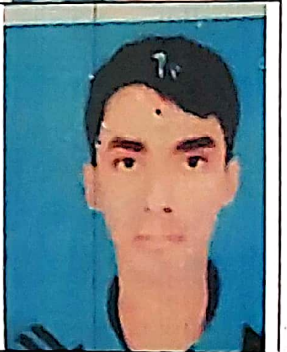
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-2/नि0-1-101/2025 - 155

पटना, दिनांक- 09.05/2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 (सी0) सं0-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामलें में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-14 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0-01/2019 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अद्योलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-07 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थियों का नाम/गृह जिला	पिता/पिता का नाम एवं स्थायी पता	पंजीय न सं०	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित क्र०सं०	जन्म तिथि	चयनित कोटि /कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री कृष्ण कान्त सिंह/ रोहतास	पिता-स्व० राम नरेश सिंह, ग्राम-सिसिरता टोला, पो०-सिसिरता टोला, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, राज्य-बिहार, पिन-802217	BR00150010071659	636	25-10-1974	UR/ BC	
2	श्री शारदा सुमन /अररिया	पिता-श्री रामानन्द विश्वास, हनुमन्त नगर, वार्ड नं०-15,पो०-अररिया, थाना-अररिया, प्रखंड-अररिया, जिला-अररिया, राज्य-बिहार, पिन-854311	BR00150010061049	1808	23-03-1986	EBC/ EBC	
3	श्री मनमीत कुमार /रोहतास	पिता-श्री संजय कुमार विमल, ग्राम-पचसवा, पो०-करवन्दियाँ, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास राज्य-बिहार, पिन-821305	BR00150010032738	2216	14-03-1999	SC/ SC	

4	श्री राम प्रवेश राम/ रोहतास	श्री देवनन्दन राम, ग्राम-खरबनियाँ, पो0-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास, राज्य-बिहार, पिन-821113	BR00150010057121	2222	04-03-1967	SC/ SC	
5	श्री रविश कुमार/ खगड़िया	पिता-स्व0 जनक प्रसाद यादव, ग्राम-आवास बोर्ड, वार्ड नं0-34, पो0-कोशी कॉलेज, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया, राज्य-बिहार, पिन-851205	BR00150010058413	2281	02-04-1985	UR/ BC	
6	श्री तबरेज आलम / प0 चम्पारण	पिता-श्री ईमाम देवान, ग्राम-तिलगंही बहुअरवा, पो0-मैनाटॉड़, थाना-पुरुषोत्तमपुर, जिला-प0 चम्पारण, राज्य-बिहार, पिन-845306	BR00150010053688	2331	25-04-1995	EBC/ EBC	
7	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह/मुंगेर	पिता-श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम-कर्णगढ़, पो0-मझगाँय, थाना-गंगटा, जिला-मुंगेर, राज्य-बिहार, पिन-811213	BR00150010060435	2352	05-02-1983	EBC/ EBC	
8	मधु कुमारी/ शेखपुरा	पिता- श्री राम जन्म सिंह, ग्राम-डोवाडीह, पो0-ओनामा, थाना-शेखोपुरसराय, प्रखंड- शेखोपुरसराय, जिला-शेखपुरा, राज्य-बिहार, पिन-811101	BR00150010040651	2458	08-09-1989	URFemale / GEN	

9	श्री लोकेश कुमार /पटना	श्री हाकीम प्रसाद सिंह, ग्राम-शेरपुर, पो0-शेरपुर, थाना-मनेर, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-801503	BR00150010057772	2482	23-10-1989	UR/ BC	
10	श्री सचिन कुमार /सुपौल	पिता-श्री प्रदीप सिंह, ग्राम-भीमपुर, पो0- भीमपुर, थाना-भीमपुर, जिला-सुपौल, राज्य-बिहार, पिन-854339	BR00150010007705	2541	14-12-1999	EBC/ EBC	
11	श्री शाहबाज आलम/पूर्वी चम्पारण	पिता-मो0 अबुआला, ग्राम-मंगलापुर, पो0-कल्याणपुर, थाना-कल्याणपुर, जिला- पूर्वी चम्पारण, राज्य-बिहार, पिन-845413	BR00150010047990	2623	10-03-1999	EBC/ EBC	
12	श्री पंकज कुमार /पटना	श्री राम गोविन्द चौधरी, बी०-1, देवा रेसीडेन्सी, नागेश्वर कोलनी, गुप्तेश्वरी कम्पारुण्ड, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800001	BR00150010055581	3597	01-01-1981	UR/ GEN	
13	श्री प्रेम राज/ नालन्दा	श्री कपिल देव प्रसाद, ग्राम-करायपरसुराय (बड़ी कुआँ), पो0+थाना- करायपरसुराय, पंचायत-करायपरसुराय, वार्ड सं०-14, जिला-नालन्दा, राज्य-बिहार, पिन-801304	BR00150010042240	4820	10-10-1997	SC/ SC	
14	अमृता कुमारी/ पटना	पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद, एल० सी०टी० घाट मैनपुरा गली नं०-01, पटना-01, पो०-जी०पी०ओ०, पटना, थाना-पाटलिपुत्रा, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800001	BR00150010084809	8328	10-01-1991	BC Female/ BC	

15	खुशबू कुमारी/ भागलपुर	पिता- श्री रविंद्र यादव, ग्राम-कुष्पाघाट रोड, मायागंज, पो-बरारी, थाना-बरारी ओपी, जिला-भागलपुर, राज्य-बिहार, पिन-812003	BR00150010096278	8428	10-01-1996	BC Female/ BC	
----	--------------------------	--	------------------	------	------------	---------------------	--

2) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों/संगत प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4) यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5) वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन-पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6) सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :-

- बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।
- बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
- जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा-गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

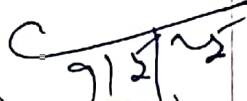
8) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9) सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरांत नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10) नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापनों परांत किया जायेगा।

11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं० 01/2019 (कनीय अभियंता) के विरुद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी।

12) भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

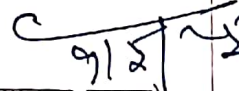

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-2/नि०-1-101/2025 -/5⁰ पटना, दिनांक- 9.05.2025

प्रतिलिपि- नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करें।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-2/नि०-1-101/2025 -/5⁰ पटना, दिनांक- 9.05.2025

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 150 पटना, दिनांक- 9.05.2025

प्रतिलिपि-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग, विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 150 पटना, दिनांक- 9.05.2025

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव का कोषांग/संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 150 पटना, दिनांक- 9.05.2025

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)